राजस्थान सरकार

कारखाना एवं बायलर्स निरीक्षण विभाग

कार्यालय मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स,राजस्थान,जयपुर–302004

क्रमांक :F.1( )Estt/J.Ass.Rec.24/F&B/2025-01196-8305248 **दिनांकः यथा हस्ताक्षर**

कार्यालय आदेश

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती, 2024 की प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को श्रीमान् शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग से प्राप्त पत्र क्रमां क प.1(2)प्र.सु./अनु.–3/2025–08916/राजकाज रेफ.नं. – 17909069 जयपुर, दिनांक 19.09.2025 की अनुपालना मे राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999 के अन्तर्गत निम्नलिखित चयनित अभ्यर्थियो को कारखाना एवं बॉयलर्स विभाग में कनिष्ठ सहायक के रिक्त पदों पर कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.2006 एवं वित्त नियम विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 15(1)वित्त/नियम/2017/दिनांक 30.10.2017 के अनुसार 02 वर्ष की अवधि के लिए परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer-Trainee) के रूप में नियत पारिश्रमिक रू0 14600/– प्रतिमाह एवं परीवीक्षाकाल संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरान्त पे–मैट्रिक्स लेवल संख्या – 5 पर अधोलिखित शर्तो पर कार्यभार सम्भालने की तिथि से इस विभाग में नवीन पदस्थापन स्थान पर निम्नानुसार उनके नाम के आगे अंकित कार्यालय में एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है:–

क्र.सं.	मेरिट क्रमांक	कैटेगरी	नाम	जन्म तिथि	कार्यालय का नाम एवं नवीन पदस्थापन स्थान	वि. विवरण
1.	856	OBC	श्री शुभम जाँगिड	11.07.1999	मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स, जयपुर	रिक्त पद पर
2.	896	EWS	श्री अजय शर्मा	20.06.2000	मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स, जयपुर	रिक्त पद पर
3.	920	OBC	श्री गोरी शंकर सारण	07.02.2001	वरिष्ठ निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स, श्रीगंगानगर	रिक्त पद पर
4.	945	OBC	श्री राधा कृष्ण सैनी	06.06.1999	मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स, जयपुर	रिक्त पद पर
5.	1514	EWS	श्री आशीष कुमार शर्मा	19.02.2002	मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स, जयपुर	रिक्त पद पर
6.	1528	OBC	श्री हितेश कुमार सैनी	05.04.2002	उप मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स, अलवर	रिक्त पद पर
7.	1563	OBC	श्री नागर मल	23.04.1994	वरिष्ठ निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स, भिवाडी, खैरथल–तिजारा	रिक्त पद पर
8.	1953	EWS	श्री पवन कुमार जैमिनी	12.07.1996	वरिष्ठ निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स, किशगनढ, अजमेर	रिक्त पद पर

RajKaj Ref No.: 18631649
eSign 1.0

Signature valid
Digitally signed by Harish Kumar Gupta
Designation : Chief Inspector
Date: 2025.11.03 19:30:47 IST
Reason: Approved

9.	2024	EWS	श्री गोविन्द सिंह	27.03.1996	उप मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स, कोटा	रिक्त पद पर
10.	2200	OBC	सुश्री कल्पना खरवास	15.10.1996	मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स, जयपुर	रिक्त पद पर
11.	2487	OBC	सुश्री आकांक्षा कुमावत	02.06.2000	वरिष्ठ निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स, अजमेर	रिक्त पद पर
12.	2786	MBC	श्री सचिन कुमार	15.03.1995	वरिष्ठ निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स, चित्तौडगढ	रिक्त पद पर
13.	3047	OBC	सुश्री लक्ष्मी	01.06.2000	उप मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, जोधपुर	रिक्त पद पर
14.	3362	OBC	सुश्री सुमन चौधरी	10.01.2002	मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स, जयपुर	रिक्त पद पर
15.	7318	GEN (LDCP)	श्री विक्रम सिंह	22.05.2002	उप मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स, जोधपुर	रिक्त पद पर

उक्त नियुक्तियॉ निम्नलिखित शर्तो के अधीन की जा रही हैः–

1. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ.11/एसटी, एससी, ओबीसी,एसबीसी/जा.प्र.प. /सामान्यअवि/2015/54159 दिनांक 09.09.2015, पत्रां क 63606–726 दिनांक 20.10.2015 एवं प0 11(204) आरएण्डपी/डीडीबीसी/सान्याअवि/2011/68999–69032 जयपुर दिनां क 11.11. 2016 एवं एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 3469/2020 अंकित धायल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य में माननीय उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश 26.02.2020 की पालना मे अति पिछडा वर्ग (MBC) के अभ्यर्थियों की नियुक्ति सृजित छायापदो के विरूद्ध की जाकर वर्णित दिशा निर्देश के अध्याधीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेगी।

2. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 12(6)एफडी/रूल्स/05 दिनांक 13.03.2006, एफ.6(6)एफडी/रूल्स/2005 दिनांक 13.03.2006, एफ. 1(2)एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 13.03.2006, एफ.13(1)एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 13.03.2006 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम–2017 दिनांक 30.10.2017 एवं संशोधित आदेश दिनांक 09.12.2017 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक रूपये 14600/– प्रतिमाह (Fixed Remuneration) देय होगा। इसके अतिरिक्त विशेष वेतन, अन्य भत्ते यथा–मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, एडहोक बोनस आदि देय नहीं होगें। यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुए निर्णय के विरूद्ध माननीय सवोच्च न्यायालय मे की गई एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।

3. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.2006 एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 15(1)वित्त/नियम–2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसार 02 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (probationer Trainee) अवधि में सेवाऐं संतोषजनक पाये जाने पर 02

RajKaj Ref No.: 18631649
eSign 1.0

Signature valid
Digitally signed by Harish Kumar Gupta
Designation : Chief Inspector
Date: 2025.11.03 19:30:47 IST
Reason: Approved

वर्ष उपरान्त पे–मेट्रिक्स लेवल संख्या–5 में नियमानुसार वेतन एवं उस पर अन्य देय भत्ते स्वीकृत किये जावेंगे।

4. उपरोक्त अभ्यर्थीयों को आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। किसी कारणवश 15 दिवस में उक्त पद का कार्यभार संभालने में असमर्थ हो, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए निम्नहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करेगें। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

5. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन पर (Fix Pay) कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में संबंधित कार्यालयध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।

6. परिवीक्षा काल (probation period) में इन्हें कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।

7. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परिवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।

8. उपरोक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2024 में कारखाना एवं बॉयलर्स विभाग को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड , द्वारा वरियता क्रमानुसार उपलब्ध कराये कार्मिकों के समनुरूप होगी। चयनित अभ्यर्थियो के अपने से वरिष्ठ/कनिष्ठ के पूर्व एवं बाद में कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में इनकी वरिष्ठता पर कोई प्रभाग नहीं पड़ेगा।

9. परिवीक्षा/प्रशिक्षण अवधि मे अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमो के प्रवर्तनीय आदेशानुरूप देय होंगे।

10. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय हों गे परन्तु पदस्थापन पर कार्य ग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Throgh Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश व अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

11. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश सं. एफ. 13(1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 28.01.2004 एवं 27.03.2004 संशोधित आदेश दिनांक 30.10.2017 व 09.12.2017 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होगें एवं अन्य प्रवर्तनीय आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो उनके अधीन ही सेवा एवं सेवा लाभ देय होंगे।

12. उक्त नियुक्तियों पर वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ.6(4)वित्त/नियम/99 दिनांक 01.04.2004 के अनुसार चिकित्सा परिचर्या नियम 1970 के प्रावधान लागू नहीं होंगे एवं वित्त विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ.6(5)वित्त/नियम/99 दिनांक 27.07.2004 के अनुसार मेडिक्लेम बीमा योजना लागू होगी।

13. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अनुक्रमिक शासित होगी एवं इन पर समय–समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होंगे।

RajKaj Ref No.:
18631649
eSign 1.0

Signature valid
Digitally signed by Harish Kumar Gupta
Designation : Chief Inspector
Date: 2025.11.03 19:30:47 IST
Reason: Approved

14. अभ्यर्थियों को परिवीक्षा अवधि मे ं प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में 15 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा नियुक्ति कलेण्डर वर्ष के मध्य में होने से आनुपातिक रूप से आकस्मिक अवकाश देय होगा।

15. यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है। अस्थाई सेवाकाल में बिना किसी पूर्व सूचना अथवा नोटिस दिये किसी भी समय राज्य सेवा से पृथक किया जा सकता है।

16. संबंधित अभ्यर्थीयों को पुलिस विभाग द्वारा चरित्र एवं पूर्व वृत सत्यापन के दौरान कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किये जाने का राज्य सरकार/विभाग को अधिकार होगा। जिन अभ्यर्थियो ं ने उनके ग्रह जिले से संबंधित पुलिस सत्यापन रिपोर्ट ऑन लाईन प्राप्त कर ली है उसे विभाग को उपलब्ध करायेंगे। विभाग द्वारा इनकी चरित्र सत्यापन रिपोर्ट उप महानिरीक्षक, पुलिस सीआईडी (इन्टेलिजेन्स) राजस्थान, जयपुर के माध्यम से भिजवाने हेतु संबधित जिला पुलिस अधीक्षको ं को प्रेषित पत्र पर प्राप्त चरित्र सत्यापन रिपोर्ट अध्यधीन इनकी नियुक्ति होगी।

17. उक्त अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में दी गयी समस्त सूचनाऐं एवं संलग्नित किये गये दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज/सूचना असत्य/मिथ्या पाये जाने पर राज्य सरकार इनके सेवायें तत्काल समाप्त कर सकेगी।

18. सभी अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण—पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।
19. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।
20. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(हरीश कुमार गुप्ता)
मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : F.1( )Estt/J.Ass.Rec.24/F&B/2025-01196-8305248 दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग—3) विभाग से प्राप्त पत्र क्रमांक प.1(2)प्र.सु./अनु—3/2025—08916/राजकाज रेफ.नं. — 17909069 जयपुर, दिनांक 19.09.2025 के क्रम में।
3. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम, कारखाना एवं बॉयलर्स, ई.एस.आई विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, श्रम, कारखाना एवं बॉयलर्स, ई.एस.आई विभाग, जयपुर।
6. वरिष्ठ उप शासन सचिव, श्रम, कारखाना एवं बॉयलर्स, ई.एस.आई विभाग, जयपुर।
7. श्री सुभाष चौधरी, प्रोग्रामर आई. टी. सैल कारखाना एवं बॉयलर्स मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त कार्यालय आदेश विभाग की वेबसाईट पर अपलोड़ किया जाना सुनिश्चित करें।
8. उप मुख्य निरीक्षक/वरिष्ठ निरीक्षक/निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, ...को प्रेषित कर लेख है कि अभ्यर्थी की कार्यग्रहण की सूचना से शीघ्र इस कार्यालय को अवगत करावें, ताकि सू चना प्रशासनिक सुधार (अनुभाग—3) विभाग को भिजवायी जा सकें।
9. संबंधित अभ्यर्थी श्री/सुश्री/श्रीमती.. को आदेश की प्रति भेजकर लेख है कि आप नियुक्ति आदेश में अंकित शतो ं को पूर्ण करते हुए 15 दिवस की नियत अवधि मे ं आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कर लेवें।
10. संबंधित कोषाधिकारी ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स,
राजस्थान, जयपुर।

Signature valid

Digitally signed by Harish Kumar Gupta
Designation : Chief Inspector
Date: 2025.11.03 19:30:47 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 18631649

eSign 1.0